



प्रेषक,

धर्मन्द्र कुमार पाठक,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र०शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 13 मार्च, 2026

विषय - वित्तीय वर्ष 2025-26 में आर०आई०डी०एफ० योजना के अन्तर्गत अनुदान सं०-57/83 मद में विभिन्न मण्डलों में विभिन्न जनपदों के 10 सेतुओं (01 आर०ओ०बी०+09 लघु/दीर्घ सेतु) के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर०आई०डी०एफ० योजनान्तर्गत विभिन्न मण्डलों में विभिन्न जनपदों के 10 सेतुओं (01 आर०ओ०बी०+09 लघु/दीर्घ सेतु) के चालू कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹0 542.07 लाख (जिसमें अनुदान सं०-57 से ₹0 427.10 लाख एवं अनुदान सं०-83 से ₹0 114.97 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

तालिका-क(आर०ओ०बी०सेतु)

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियंता (सेतु) का पत्र	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या व दिनांक	स्वीकृत मूल लागत(सेतु निगम अंश+ रेल अंश सहित)/ सेतु अंश की स्वीकृत लागत/सेतु अंश की प्राविधिक लागत	रेलवे का अंश	बचत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत (रेलवे अंश को छोड़कर)	अब तक आवंटन	अद्यतन अवशेष (रेलवे अंश को छोड़कर)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि		
											अनुदान सं०-57	अनुदान सं०-83	योग (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	19785/C E-SEB/N ABARD (BRIDGE)/AGR/2025-26 Dt-28-02-2026	सेतु निगम आगरा	जनपद आगरा में एन०एच०-2 पर हीरालाल प्याऊ से पनवारी मार्ग पर आगरा-पलवल रेल सेक्शन में रेलवे किमी० 1358/05-09 के रेल सम्पार सं० 507 पर 2 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	09/2022/आई/130016/2022-23-9099/3474/2022-दिनांक-06-01-2022	3966.61 2999.16 2875.30	967.45	0.00	2875.30	2731.54	143.76	113.27	30.49	143.76
			योग								113.27	30.49	143.76

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

तालिका-ख(लघु/दीर्घ सेतु)

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियंता (सेतु) का पत्र	खण्ड /जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / प्राविधिक लागत	बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष (प्राविधिक लागत के सापेक्ष)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि		
										अनुदान सं०-57	अनुदान सं०-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19792/C E-SEB/N ABAR D(BRID GE)/BAS/2025-26 Dt-28-02-2026	प्रा.ख. संतकबी रनगर	बस्ती कांटे मार्ग पर कठिनईया नाले पर 3x5 मी० स्पान आर०सी०सी० लघु सेतु का निर्माण कार्य	10/2025/15/001-23-9099(099)-13-2024-दिनांक-03-01-2025	128.36 128.36	1.39	126.97	89.78	37.19	29.30	7.89	37.19
3	19794 /CE-SEB/N ABAR D(BRID GE)/ADY/2025-26 Dt-28-02-2026	नि.ख.-3 बाराबंकी	विकास खण्ड निंदूरा में बजगहनी मार्ग से रैगवा मोहनपुर डाण्डेतल्ला अखईपुर पिपरिहा घुंघटेर (अ०जि०मा०) के किमी० 7 में नहर पर सकरी/क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x4 मी० स्पान आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट एवं पहुँच मार्ग के निर्माण का कार्य	10/2025/15/001-23-9099(099)-13-2024-दिनांक-03-01-2025	104.43 104.43	15.65	88.78	73.10	15.68	12.35	3.33	15.68
4	19795/CE-SEB/N ABAR D(BRID GE)/GKP/2025-26 Dt-28-02-2026	प्रा०ख० महाराज गंज	बोदना पिच नौडिहवा से बकुलडिहवा लालपुर वाया नौडिहवा मार्ग के किमी-3 में मलाय नाले पर 5x5 मी. स्पान के लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	65/2023/57 7/23-9-23/001-23-9/51/2022-दिनांक-15-03-2023	216.07 216.07	1.09	214.98	164.20	50.78	40.01	10.77	50.78
5	19795/C E-SEB/N ABAR D(BRID GE)/GK P/2025-26 Dt-28-02-2026	प्रा०ख० कुशीन गर	नरचोचवा नौका टोला सम्पर्क मार्ग से धरमपुर कुशवाहा टोला के कि०मी० 1 में 3 गुणे 3 मीटर स्पान के 02 सेल बाक्स कल्वर्ट एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य	10/2025/15/001-23-9099(099)-13-2024-दिनांक-03-01-2025	69.71 69.71	1.00	68.71	48.80	19.91	14.97	4.03	19.00
6	19801/C E-SEB/N ABAR D(BRID GE)/LKO/2025-26 Dt-28-02-2026	सेतु निगम खीरी	विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड में गोमती नदी के जमुनिया घाट पर सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक	83/2023/63 7/23-9-23/001-23-9/35/2022-दिनांक-23-03-2023	2548.05 2546.26	0.00	2546.26	2544.47	1.79	1.41	0.38	1.79

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

			कार्य।									
7	19801/C E- SEB/N ABAR D(BRID GE)/LK O/2025- 26 Dt- 28-02- 2026	सेतु निगम हरदोई	विकास खण्ड बैहदर के तहसील सण्डीला में कन्जौरा-गौरिया कलन गावों के मध्य स्थित सई नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	88/2023/63 2/23-9- 23/001-23- 9002(002)/3 /2023- दिनांक-23-03- 2023	1363.82 1363.82	0.00	1363.82	1173.10	190.72	150.27	40.45	190.72
8	19801/C E- SEB/N ABAR D(BRID GE)/LK O/2025- 26 Dt- 28-02- 2026	प्रा.ख. रायबरे ली	विकास खण्ड अमावा में अब्दुल्लागंज एवं कोडरा के मध्य महाराजगंज ड्रेन पर 3x10.00 मी. स्पान की लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	47/2023/3A 50/508/202 3-23- 9002(001)/2 /2022- दिनांक-03-03- 2023	416.74 416.74	1.45	415.29	394.53	20.76	16.36	4.40	20.76
9	19801/C E- SEB/N ABAR D(BRID GE)/LK O/2025- 26 Dt- 28-02- 2026	प्रा.ख. रायबरे ली	जनपद रायबरेली के विकास खण्ड अमावा में रामपुर बघेल एवं डिघिया के मध्य महाराजगंज ड्रेन पर 3x10 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	157/2023/11 76(7)/003- 23-9002- 002-16- 2023-दिनांक- 28-06-2023	568.02 568.02	2.28	565.74	537.45	28.29	22.29	6.00	28.29
10	19801/ CE- SEB/N ABAR D(BRI DGE)/ LKO/2 025-26 Dt- 28- 02- 2026	प्रा.ख. रायबरे ली	जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचन्दपुर में गढ़ी-हरदासपुर- सरावां-गंगागंज- अजमतउल्लागंज- अचलेश्वर मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0 1 में नइया नाला पर 2x6.00 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	10/2025/15/ 001-23- 9099(099)- 13-2024- दिनांक-03-01- 2025	114.43 114.43	0.23	114.20	80.10	34.10	26.87	7.23	34.10
			योग							313.83	84.48	398.31
			योग (तालिका- क+ख)							427.10	114.97	542.07

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - (2) नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
 - (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
 - (4) वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (5) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
 - (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
 - (7) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।
 - (8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि विश्वकर्मा पोर्टल पर अपलोड आवश्यक सूचनाओं का परीक्षण पुनः कर लिया जायेगा। यदि सूचनाओं में कोई विसंगति होती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा इस विसंगति के लिए मुख्यालय/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 4,27,10,000(रुपये चार करोड़ सत्ताईस लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041013400 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,14,97,000 (रुपये एक करोड़ चौदह लाख सत्तानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891600 नाबार्ड पोषित आर0आई0 डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक

संयुक्त सचिव।

संख्या-57/2026/आई/1265224/2026(1)/001-23-9-2026-23-9002-002-27-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), 30प्र0 प्रयागराज ।
- 2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0शासन।
- 6- निदेशक, कोषागार, 30प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 7- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
- 8- प्रबंधक, 30प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 10- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 30प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 11- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 12- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, 30प्र0 शासन।
- 13- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
- 14- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
- 15- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 16- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
- 17- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
- 18- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
धर्मेन्द्र कुमार पाठक
संयुक्त सचिव।